न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12 / 37 / 2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022 / 190

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
श्री दीपेन्द्र आर्य, ग्राम व पोस्ट–भुनगडा अहीर, तहसील–मुण्डावर (अलवर)–321607		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 21.04.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 02.05.2022

1. अपीलार्थी अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 05.03.2022 के माध्यम से राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांकः 26.12.2019, राजस्व प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, अलवर में कार्यरत कार्मिकों के नाम, सम्पर्क सूत्र, जॉब चार्ट आदि व PLPC पंजिका की प्रति इत्यादि 01 लगायत 05 बिन्दुओं पर सूचना / प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. वांछित सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांकः 12.04.2022 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं किन्तु अपीलार्थी को प्रकरण में 27 पृष्ठीय सूचना प्रेषित करते हुंए मय संलग्नक पत्र सं. 1001 दिनांकः 27.04.22 के माध्यम से जवाब प्राप्त हुआ।
6. अपीलार्थी द्वारा अपील में आक्षेपित तथ्यों व सूचना आवेदन दिनांकः 05.03.22 में वांछित सूचना के अनुसरण में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब / सूचना पर पर गौर / मनन किए जाने पर प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में **अपीलार्थी को बिन्दुवार विनिश्चय से अवगत कराया जा चुका है।**
7. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
8. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 02.05.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया। ।

(शिवप्रसाद नकाते)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)